अध्याय - I

राज्य सरकार के वित्त

सारांश

2005-06 के दौरान राजस्व घाटा उल्लेखनीय कमी के साथ मात्र 27 करोड़ रूपये रह गया जो 2004-05 में 315 करोड़ रूपये था। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (8,464 करोड़ रूपये) 27 प्रतिशत हुई, जब कि राजस्व व्यय में वृद्धि (8,491 करोड़ रूपये) 22 प्रतिशत रही। पूँजीगत व्यय (506 करोड़ रूपये) में वृद्धि के साथ राजस्व घाटा और ऋण एवं अग्रिम (3,170 करोड़ रूपये) के संवितरण के कारण 5,603 करोड़ रूपये का राजकोषीय घाटा हुआ जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) का 12 प्रतिशत था।

2005-06 के दौरान पिछले वर्ष से 1,803 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यत: बिक्री कर में 330 करोड़ रूपये (18 प्रतिशत), केन्द्रीय कर स्थानांतरण में 810 करोड़ रूपये (34 प्रतिशत) और केन्द्रीय सहायता अनुदान में 244 करोड़ रूपये (28 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।

राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आयी, जबकि केन्द्रीय कर स्थानांतरण तथा सहायता अनुदान दोनों का कुल राजस्व में 51 प्रतिशत अंशदान था। इसके अलावा राज्य को 1,248 करोड़ रूपये का घाटा, जे. एस.ई बी. द्वारा समय पर सी.पी.एस.यू. के त्रिपक्षीय समझौते के तहत बकाया (840 करोड़ रूपये) के भुगतान न करने, स्थानीय निकाय का चुनाव न कराने (304.62 करोड़ रूपये) और राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम पारित न कराने (103.03 करोड़ रूपये) के कारण, सहन करना पड़ा।

कर राजस्व के स्त्रोतों में बिक्री कर (80 प्रतिशत), राज्य उत्पाद (छ: प्रतिशत) तथा वाहनों पर कर (पाँच प्रतिशत) मुख्य अंशदाता थे। कर-भिन्न राजस्व के स्रोतों में अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (71 प्रतिशत) मुख्य अंशदाता थे।

राज्य का समग्र व्यय 2004-05 में 8,886 करोड़ रूपये से 58 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2005-06 में 14,077 करोड़ रूपये बढ़ा। राजस्व व्यय (8,491 करोड़ रूपये) कुल व्यय का 60 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन में राजस्व प्राप्तियों का लगभग 55 प्रतिशत उपभुक्त हुआ। 2005-06 के दौरान राजकोषीय दायित्व (17,360 करोड़ रूपये) पिछले वर्ष से लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़ा और राजस्व प्राप्तियों के लगभग दुगुना तक पहुँच गया।

राजकोषीय घाटा जो सरकार के कुल उधार और इसके कुल संसाधन के अंतर को दर्शाता है 2004-05 में 2,217 करोड़ रूपये से 2005-06 में 5,603 करोड़ रूपये 153 प्रतिशत से पूँजीगत व्यय 2004-05 में 1,333 करोड़ रूपये से 2005-06 में 1,839 करोड़ रूपये 38 प्रतिशत, ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में 2004-05 में 577 करोड़ रूपये से 2005-06 में 3,747 करोड़ रूपये 549 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुआ। 2005-06 में राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात 0.5 प्रतिशत था।

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं-(i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा (***परिशिष्ट 1.1 भाग-क***)। झारखण्ड की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में प्राप्ति एवं व्यय, राजस्व के साथ-साथ पूँजीगत को प्रस्तुत करनेवाले, झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे उन्नीस विवरणियों में चित्रित किये गये हैं। वित्त लेखे का चित्रण ***परिशिष्ट 1.1- भाग - ख*** में दर्शाया गया है।

1.1.1 प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

तालिका 1 वर्ष 2005-06 के लिए झारखण्ड सरकार के वित्त जैसा कि वित्त लेखे की विवरणी I एवं अन्य विस्तृत विवरणियों से प्रकट होता है, राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय, पूँजीगत प्राप्तियाँ/ व्यय और लोक लेखा प्राप्तियाँ/संवितरण का संक्षेप है।

तालिका 1: वर्ष 2005-06 के लिए प्राप्तियाँ एवं संवितरण का सारांश

(करोड़ रूपये में)

2004-05	प्राप्तियॉ	2005-06	2004-05	संवितरण	2005-06		
				खण्ड क- राजस्व			
					गैर योजना	**योजना**	**कुल**
6660.51	**I राजस्व प्राप्तियॉ**	8463.88	6975.91	**I राजस्व व्यय**	6352.39	2138.43	8490.82
2382.79	**कर राजस्व**	2758.04	2943.08	**सामान्य सेवायें**	3267.69	309.74	3577.43
1052.45	**कर- भिन्न राजस्व**	1426.53	2523.57	**सामाजिक सेवायें**	2084.56	975.74	3060.30
2366.40	**संघ के कर एवं शुल्क का अंश**	3175.89	1509.19	**आर्थिक सेवायें**	1000.13	852.95	1853.08
858.87	**भारत सरकार से अनुदान**	1103.42	0.07	**सहायता अनुदान एवं अंशदान**	0.01	-	0.01
				खण्ड ख- पूँजीगत			
	II विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	1333.43	II पूँजीगत परिव्यय	2.15	1836.88	1839.03
7.58	III. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियॉ	9.81	576.80	III. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	2659.48	1087.36	3746.84
3570.10	IV लोक ऋण प्राप्तियाँ*	3500.62	801.88	IV. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	-	-	281.08
128.34	V आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण	-	-	V. आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	-
2927.42	VI लोक लेखा प्राप्तियाँ	3908.13	3602.92	VI. लोक लेखा संवितरण	-	-	2463.70
881.40	आरंभिक रोकड़ अधिशेष	884.41	884.41	रोकड़ अंतशेष			(-)54.62
14175.35	**कुल**	**16766.85**	**14175.35**	**कुल**			**16766.85**

*** अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट सम्मिलित नहीं है।**

2005-06 के दौरान संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश में 34 प्रतिशत, सहायता अनुदान में 28 प्रतिशत और कर-भिन्न प्राप्ति में 36 प्रतिशत की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से 27 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई। सामाजिक सेवायें (536 करोड़ रूपये),आर्थिक सेवायें (344 करोड़ रूपये) और सामान्य सेवायें (635 करोड़ रूपये) में व्यय की वृद्धि से राजस्व व्यय भी 1515 करोड़ रूपये (22 प्रतिशत) बढ़ा।

1.2 राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन

1.2.1 राजकोषीय समुच्चय में प्रवत्ति

राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान **तालिका 2** मे दी गयी है :

तालिका 2

(करोड़ रूपये में)

2004-05	क्र.सं.	मुख्य समुच्चय	2005-06
6661	**1**	**राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)**	**8464**
2383	2	कर राजस्व	2758
1053	3	कर-भिन्न राजस्व	1427
2366	4	केन्द्रीय कर स्थानांतरण	3176
859		सहायता अनुदान	1103
8	**5**	**ऋण भिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ**	**10**
8	6	उन पर ऋण की वसूली	10
6669	**7**	**कुल ऋण भिन्न प्राप्तियाँ (1+ 5)**	**8474**
5281	**8**	**गैर योजना व्यय (9+ 11+12)**	**9014**
4996	9	राजस्व लेखा पर	6352
1141	10	उन पर ब्याज का भुगतान	1420
-	11	पूंजीगत लेखा पर	2
285	12	उन पर संवितरित ऋण	2660
3605	**13**	**योजना व्यय (14+ 15+16)**	**5063**
1980	14	राजस्व लेखा पर	2139
1333	**15**	पूंजीगत लेखा पर	1837
292	16	संवितरित ऋण पर	1087
8886	17	**कुल व्यय (8+ 13)**	**14077**
(-)2217	18	राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+)(1+5-17)	**(-)5603**
(-)315	19	राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)(1-9-14)	**(-)27**
(-)1076	20	प्राथमिक घाटा(-)/ आधिक्य (+)(10-18)	**(-)4183**

तालिका 2 से परिलक्षित होता है कि 2005-06 के दौरान पिछले वर्ष की अपेक्षा 1,803 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ गयी जबकि वर्ष के दौरान पिछले वर्ष से 1,515 करोड़ रूपये राजस्व व्यय बढ़ा जो 2004-05 के 315 करोड़ रूपये से 2005-06 के 27 करोड़ रूपये घटकर 288 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा हुआ। तथापि, पूँजीगत व्यय में 2004-05 में 1,333 करोड़ रूपये से 2005-06 में 1,839 करोड़ रूपये का 38 प्रतिशत और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में 2004-05 में 577 करोड़ रूपये से 2005-06 में 3,747 करोड़ रूपये का 549 प्रतिशत वृद्धि के कारण 2004-05 में 2,217 करोड़ रूपये से 2005-06 में 5,603 करोड़ रूपये के 153 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा तीव्र गति से बढ़ा।

1.3 लेखापरीक्षा पद्धति

वर्ष 2005-06 के लिए वित्त लेखे की विवरणियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सावधिक तुलना एवं आँकड़ों के समय श्रेणी आँकड़े (***परिशिष्ट 1.2 से 1.5***) की दृष्टि से प्राप्तियों एवं व्यय की मुख्य राजकोषीय समुच्चय में प्रवृतियों को दर्शाती है। कर और कर- भिन्न राजस्व, राजस्व और पूँजीगत व्यय, आंतरिक और बाह्य ऋण तथा राजस्व और राजकोषीय घाटा के समान मुख्य राजकोषीय समुच्चय वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस.डी.पी.) की प्रतिशतता प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रकाशित नयी जी. एस.डी.पी. श्रेणियॉ 1993-94 के आधार पर तैयार की गई है। फलत: 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के लिए सबंधित तालिका में प्रतिशतता/अनुपात जैसा कि पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित हुआ था, बदल दिया गया। कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय आदि के लिए उत्प्लावकता प्रक्षेपों को जी.एस.डी. पी. द्वारा प्रदर्शित आधार के संदर्भ में अस्थिरता के प्रकारों के प्राक्कलन को भी दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए अपनाये गये मूल संकेतक हैं-(i) प्रमाण एवं स्त्रोतों द्वारा संसाधन, (ii) संसाधनों का अनुप्रयोग, (iii) परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व तथा (iv) घाटे का प्रबंधन। लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ संसाधन संघटन प्रयासों का संचयी प्रभाव, ऋण सेवायें और सुधारात्मक राजकोषीय उपायों पर भी होता है। समग्र रूप से राज्य सरकार का वित्तीय प्रदर्शन सामूहिक निकाय निगम के रूप में राजकोषीय समुच्चय के संबंधात्मक तदर्थ निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के वित्तीय निष्पादन के चयनित सूचकों को भी अलग से इस भाग में जोड़ा गया है; इस प्रकरण में व्यवहृत कुछ शब्दावलियों की व्याख्या ***परिशिष्ट 1.1 भाग - ग*** में की गयी है।

1.4 मूल संकेतकों द्वारा राज्य वित्त

1.4.1 प्रमात्रों एवं स्त्रोतों द्वारा संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ होती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघ के कर एवं शुल्क का राज्यांश तथा भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से प्राप्त सहायता अनुदान होते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेशों से प्राप्ति ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियॉ, आंतरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंको आदि से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखा से संभूति अंतर्विष्ट हैं।

तालिका 3 दर्शाती है कि वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ 15,883 करोड़ रूपये थीं। जिसमें राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियों का 53 प्रतिशत, 8,464 करोड़ रूपये थी। शेष प्राप्तियाँ उधार एवं लोक लेखा से आयी थीं।

तालिका 3: झारखंड के संसाधन

(करोड़ रूपये में)

I. राजस्व प्राप्तियाँ	**8464**
II. पूँजीगत प्राप्तियाँ	**3511**
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	10
लोक ऋण प्राप्तियॉ	3501
III. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**3908**
लधु बचत, भविष्य निधि आदि	409
आरक्षित निधि	161
जमा एवं अग्रिम	1328
उचंत एवं विविध	90
प्रेषण	1920
कुल प्राप्तियां	**15883**

1.4.2 राजस्व प्राप्तियॉ

वित्त लेखे की विवरणी 11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का ब्योरा है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं कर और कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर स्थानांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित है। समग्र राजस्व प्राप्तियाँ इसकी वृद्धि की वार्षिक दर, जी.एस.डी.पी. से इन प्राप्तियों का अनुपात तथा इसकी उत्प्लावकता **तालिका 4** में दिखाई गई है।

तालिका -4: राजस्व प्राप्तियॉ- मूल प्राचल

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
राजस्व प्राप्तियाँ (करोड़ रूपये में)	4495	4937	5638	6661	8464
स्वयं के कर (करोड़ रूपये में)	1586 (35.3)	1750 (35.4)	1986 (35.2)	2383(35.8)	2758 (32.5)
कर- भिन्न राजस्व (करोड़ रूपये में)	852 (18.9)	987 (20.0)	1106 (19.6)	1053(15.8)	1427 (16.9)
केन्द्रीय कर स्थानान्तरण (करोड़ रूपये में)	1603 (35.7)	1703 (34.5)	1980 (35.1)	2366(35.5)	3176 (37.5)
सहायता अनुदान(करोड़ रूपये में)	454 (10.1)	497 (10.1)	566 (10.1)	859 (12.9)	1103 (13.1)
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*	9.8	14.2	18.1	27.1
स्वयं के कर की वृद्धि दर(प्रतिशत)	*	10.3	13.5	20.0	15.7
जी. एस.डी.पी. (प्रतिशत)	--	** 11.3	**9.2	**9.8	7.9
राजस्व प्राप्तियॉ/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	13.7	** 13.6	**14.2	**15.2	18
राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात)	--	** 0.87	**1.54	**1.85	3.43
राज्य के स्वयं के कर की उत्पलावकत (अनुपात)	-	0.91	1.47	2.04	1.99
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात)	-	0.95	1.05	0.91	1.73

* झारखण्ड 15 नवंबर 2000 को बना। अतः 2001-02 के लिए वृद्धि दर का निर्धारण नहीं हुआ।

** राज्य घरेलू उत्पाद में पुनरीक्षण के कारण, राज्य सरकार द्वारा दिए गए जी.एस.डी.पी.के आंकड़ों के अनुसार वृद्धि दर निर्धारित की गई।

कोष्ठक में आंकड़े कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

सामान्य प्रवृति : जबकि 2005-06 के दौरान राजस्व का लगभग 49 प्रतिशत राज्य के स्वयं के स्त्रोतों से आय, केन्द्रीय कर स्थानांतरण एवं सहायता अनुदान क्षेत्रों का अंशदान कुल राजस्व का लगभग 51 प्रतिशत था। राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 2004-05 में 6,661 करोड़ रूपये से बढ़कर 2005-06 में 8,464 करोड़ रूपये हो गई। पिछले वर्ष से 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी, कर राजस्व के 375 करोड़ रूपये (16 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व के 374 करोड़ रूपये (36 प्रतिशत) केन्द्रीय कर स्थानांतरण के 810 करोड़ रूपये (34 प्रतिशत) और सहायता अनुदान के 244 करोड़ रूपये (28 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुई। राजस्व उत्प्लावकता 2004-05 में 1.85 से 2005-06 में 3.43 बढ़ी जबकि राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता घट कर 2004-05 में 2.04 से 2005-06 में 1.99 हो गई। राज्य के स्वयं के संसाधनों से कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात नियमित रूप से घटकर 2002-03 के 55 प्रतिशत से 2005-06 में 49 प्रतिशत हो गई।

2005–06 के लिए राजस्व प्राप्तियाँ
(सापेक्ष अंश प्रतिशत में)

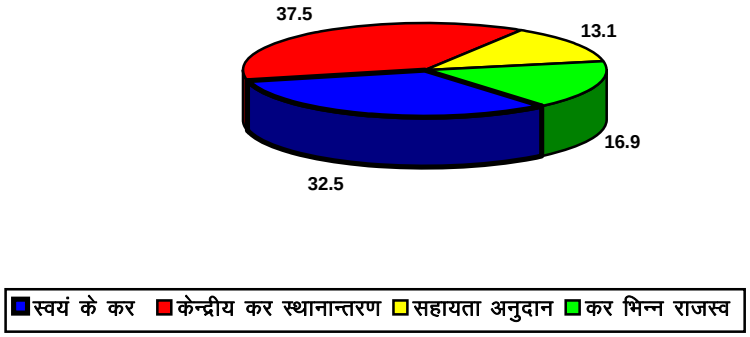

कर राजस्वः कर राजस्व से कुल राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता 2001-06 के दौरान 32.5 से 35.8 प्रतिशत के मध्य विचरित थी। तथापि, इसकी कुल राजस्व प्राप्ति से प्रतिशतता 2004-05 में 35.8 से घटकर 2005-06 में 32.5 प्रतिशत हो गई। बारहवें वित्त आयोग (टी.डब्ल्यु.एफ.सी.) के द्वारा तैयार की गई 2005-06 के लिए राज्य के स्वयं के कर राजस्व (2994 करोड़ रूपये) के नियामक निर्धारण की यदि तुलना की जाय तो कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण 2005-06 के दौरान 236 करोड़ रूपये कमी के साथ 2758 करोड़ रूपये रहा। 2005-06 में कुल कर राजस्व, बिक्री कर राजस्व का 80 प्रतिशत अंशदान और उसके बाद राज्य उत्पाद कर का छः प्रतिशत था। 2005-06 के दौरान पिछले वर्ष के कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से बिक्री कर (330 करोड़ रूपये), माल और भाड़े पर कर (18 करोड़ रूपये) और राज्य उत्पाद (16 करोड़ रूपये) में वृद्धि के कारण थी।

कर- भिन्न राजस्वः राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के समान कर-भिन्न राजस्व 2001-06 के दौरान 15.8 से 20 के मध्य विचरित था। तथापि, 2005-06 में कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति की वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा 36 प्रतिशत रही जो मुख्यतः शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (164 करोड़ रूपये), अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (76 करोड़ रूपये), ब्याज प्राप्ति (53 करोड़ रूपये) और वानिकी एवं वन्य जीवन (36 करोड़ रूपये) में वृद्धि के कारण 36 प्रतिशत बढ़ गयी। कर- भिन्न राजस्व स्त्रोतों में, अ-लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (71 प्रतिशत) मुख्य अंशदाता थे साथ ही शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (12 प्रतिशत) और ब्याज प्राप्ति (पाँच प्रतिशत) था।

केन्द्रीय कर स्थानान्तरणः केन्द्रीय कर स्थानांतरण 2004-05 में 2,366 करोड़ रूपये से 810 करोड़ रूपये बढ़कर 2005-06 में 3,176 करोड़ रूपये हो गया।

सहायता अनुदानः सहायता अनुदान मुख्यतः राज्य योजना अनुदानों (164 करोड़ रूपये), केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम के लिए अनुदानों (62 करोड़ रूपये) और गैर-योजना अनुदानों (26 करोड़ रूपये) में वृद्धि के कारण 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2004-05 में 859 करोड़ रूपये से 2005-06 में बढ़कर 1,103 करोड़ रूपये हो गया। टी. डब्ल्यू.एफ. सी. द्वारा अनुशंसित शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए क्रमशः 107.82 करोड़ रूपये और 57.39 करोड़ रूपये की राशि वर्ष के दौरान राज्य को स्थानांतरित कुल सहायता अनुदान में सम्मिलित थी।

भारत सरकार से योजना अनुदान की हानिः लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ है कि झारखण्ड राज्य बिजली बोर्ड (जे.एस.ई.बी) द्वारा झारखण्ड सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई) और भारत सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता की समनुरूपता में बकाये का भुगतान सी.पी.एस.यू. को समय पर नहीं किये जाने के कारण राज्य को सामान्य केन्द्रीय सहायता के अनुदान घटक से 840 करोड़ रूपये का घाटा हुआ जो 2001-06 के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत दिया गया था। यह हानि त्रिपक्षीय समझौता के प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने के कारण उपगत हुई।

राजस्व बकायेः 31 मार्च 2005 के अनुसार कुल बकाये 1,741.08 करोड़ रूपये की तुलना में 31 मार्च 2006 के अनुसार राजस्व का बकाया 1,611.10 करोड़ रूपये था (अनुपलब्धता के कारण उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, परिवहन विभाग और जल संसाधन विभाग के आँकड़ों को छोड़कर)। राजस्व बकाये का महत्वपूर्ण भाग वित्त (वाणिज्य कर) विभाग और खनन एवं भूतत्व विभाग से संबंधित है। इन विभागों में 2004-05 के अन्त तक क्रमशः 1,361.37 करोड़ रूपये और 234.68 करोड़ रूपये की तुलना में 2005-06 के अन्त तक बकाये 1,296.01 करोड़ रूपये और 312.73 करोड़ रूपये था। 2005 के अन्त तक राजस्व बकाया का प्रतिशत स्वयं के संसाधनों का 51 प्रतिशत के विरूद्ध 31 मार्च 2006 को 38 प्रतिशत था। 31 मार्च 2006 को दोनों विभागों का कुल राजस्व बकाया क्रमशः 1,024.65 करोड़ रूपये और 193.19 करोड़ रूपये पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित था जिसमें से 546.42 करोड़ रूपये और 593.65 करोड़ रूपये क्रमशः न्यायालय और सरकार के पास विचाराधीन थे और शेष बकाये अन्य कारणों से देय थे।

1.4.3 प्राप्तियों का स्त्रोत

2001-2006 के दौरान विभिन्न शीर्षों और जी.एस.डी.पी. के अंतर्गत प्राप्तियों के स्त्रोत को **तालिका 5** में दर्शाया गया हैः

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	पूंजीगत प्राप्तियाँ			कुल प्राप्तियाँ	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
		गैर-ऋण प्राप्तियाँ	ऋण प्राप्तियाँ	लोक लेखा में संभूति		
2001-02	4495	2	1585	1940	8022	32706
2002-03	4937	3	1889	3049	9878	36418
2003-04	5638	4	2422	3113	11177	39773
2004-05	6661	8	3570	2927	13166	43687
2005-06	8464	10	3501	3908	15883	47117

राज्य की राजस्व प्राप्तियों का अंश, कुल प्राप्तियों का 2001-02 में 56 प्रतिशत से घटकर 2002-03 में 50 प्रतिशत हो गया, परन्तु पुनः 2002-03 में 50 प्रतिशत से 2005-06 में 53 प्रतिशत की बढ़ती हुई प्रवृति थी। दूसरी तरफ, 2001-06 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ, कुल प्राप्ति का 44 से 50 प्रतिशत तक विचरित था। राजस्व प्राप्तियॉ 2001-02 में 4495 करोड़ रूपये से 2005-06 में 8464 करोड़ रूपये नियमित रूप से 88 प्रतिशत बढ़ी जबकि पूँजीगत प्राप्तियाँ 2001-02 में 3527 करोड़ रूपये से 2005-06 में 7419 करोड़ रूपये तक मुख्यतः लोक लेखे में संभूति में वृद्धि के कारण 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पूँजीगत प्राप्तियों में, पूँजीगत प्राप्ति का 2001-02 में 45 प्रतिशत से 2005-06 में 47 प्रतिशत तक ऋण प्राप्ति बढ़ गयी जबकि 2001-06 के दौरान लोक लेखा से प्राप्ति 45 से 62 प्रतिशत के बीच विचरित थी।

यद्यपि 2001-06 की अवधि के दौरान जी.एस.डी.पी. निरपेक्ष रूप से निर्विरोध बढ़ी लेकिन इसकी वार्षिक वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच की सीमा तक विचरित थी। तथापि, जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर 2004-05 में 9.8 प्रतिशत से 2005-06 में 7.9 प्रतिशत तक घट गयी जो बारहवें वित्त आयोग की निर्धारित अवधि (2005-10) की वार्षिक औसत दर 11 की मानक प्रलम्बता के नीचे है।

1.5 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.5.1 व्यय की वृद्धि

वित्त लेखे की विवरणी 12, लधुशीर्षों द्वारा ब्योरेवार राजस्व व्यय तथा मुख्य शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय को दर्शाती है। राज्य अपने मुख्य कार्यकलापों का निष्पादन करके, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के प्रतिपादन का अपने स्थायी प्रकृति का निर्वाह, पूँजीगत व्यय और निवेशों के द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार और अपने ऋण सेवा बंधनों से मुक्त हो कर संसाधनों का निर्माण करता है। राज्य का कुल व्यय 2001-02 में 5,862 करोड़ रूपये से 2005-06 में 14,077 करोड़ रूपये तक बढ़ा। कुल व्यय, इसकी वार्षिक वृद्धि दर, राज्य के जी.एस.डी.पी. से व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात तथा जी.एस.डी.पी. एवं राजस्व प्राप्तियों से इसकी उत्प्लावकता **तालिका-6** में दर्शायी गयी है।

तालिका 6: कुल व्यय- मूल प्राचल

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
कुल व्यय # (करोड़ रूपये में)	5862	6660	6516	8886	14077
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	*	13.6	(-)2.2	36.4	58.4
कु.व्यय/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	17.9	18.3	16.4	20.3	29.9
राजस्व प्राप्तियॉ/कु.व्यय (प्रतिशत)	76.7	74.1	86.5	75.0	60.1
के संदर्भ में कुल व्यय की उत्प्लावकता					
स..रा.घ.उ. (अनुपात)	--	1.20	(-) 0.24	3.71	7.39
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	--	1.38	(-) 0.15	2.01	2.15

* झारखण्ड राज्य 15 नवम्बर 2000 को बना था। अतः 2001-02 के लिए वृद्धि दर निर्धारित नहीं हुई।

कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण अग्रिम सम्मिलित है।

2005-06 के दौरान कुल व्यय पिछले वर्ष से 5191 करोड़ रूपये (58 प्रतिशत) बढ़ गया। राजस्व व्यय में 1515 करोड़ रूपये (22 प्रतिशत), पूँजीगत व्यय में 506 करोड़ रूपये (38 प्रतिशत) और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में 3,170 करोड़ रूपये (549 प्रतिशत) की वृद्धि कुल व्यय में तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। पूँजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से शिक्षा, क्रीड़ा एवं कला (137 करोड़ रूपये), जलापूर्ति एवं स्वच्छता (71 करोड़ रूपये), मुख्य एवं मध्यम सिंचाई (68 करोड़ रूपये) और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण (57 करोड़ रूपये) पर पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि के कारण थी। 2005-06 के दौरान ऋण एवं अग्रिमों में पिछले वर्ष से 549 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से 2004-05 में 490.54 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2005-06 में 3651.12 करोड़ रूपये, ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण की राशि के संवितरण के कारण थी। 2003-04 को छोड़कर जहां कुल व्यय में ऋणात्मक वृद्धि थी, जी.एस.डी.पी.और राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में कुल व्यय की उत्प्लावकता में बढ़ती हुई प्रवृति देखी गई।

2005-06 में राजस्व प्राप्तियाँ का कुल व्यय से अनुपात दर्शाता है कि राज्य के कुल व्यय का 60 प्रतिशत उधार से लिए जाने वाले शेष को छोड़कर इसके वर्तमान राजस्व से पूरा हुआ।

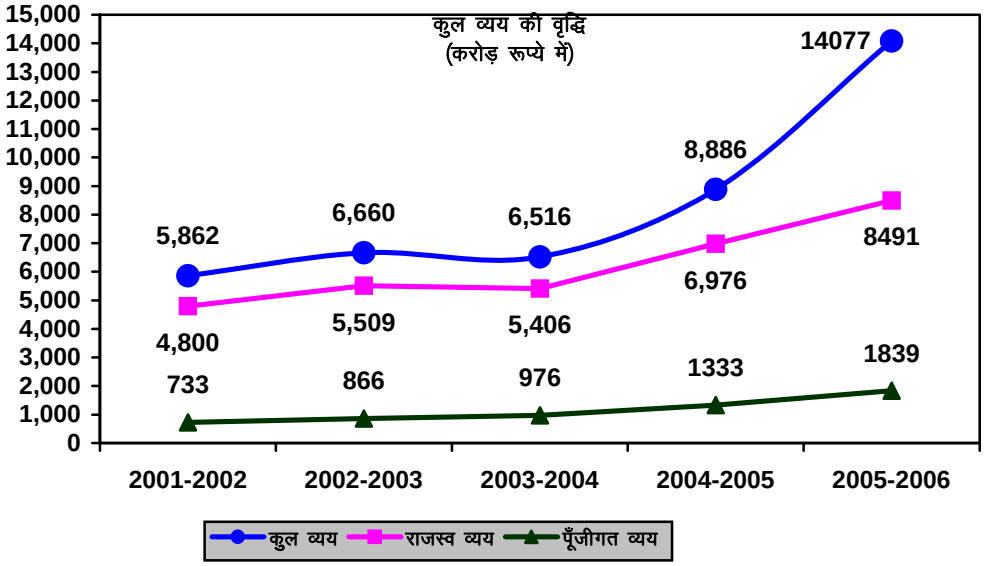

क्रियाकलापों द्वारा कुल व्यय में प्रवृतिः क्रियाकलापों के रूप में कुल व्यय ब्याज भुगतान, सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें, सहायता अनुदान और ऋण एवं अग्रिमों सहित सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय था। कुल व्यय में इन संघटनों का सापेक्ष अंश **तालिका 7** में दर्शाया गया है।

तालिका 7: व्यय के संघटक- सापेक्ष अंश (प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
सामान्य सेवायें	31.5	41.8	40.5	33.3	26.0
जिनमे ब्याज भुगतान	9.7	21.3	18.1	12.8	10.1
समाजिक सेवायें	34.5	31.5	30.6	31.0	25.6
आर्थिक सेवायें	28.4	22.4	26.8	29.2	21.8
सहायता अनुदान	*	*	*	-	-
ऋण एवं अग्रिम	5.6	4.3	2.1	6.5	26.6

* सहायता अनुदान की प्रतिशतता मात्र 0.01 थी इसलिए सम्मिलित नहीं की गयी।

व्यय के इन संघटकों के सापेक्ष अंश की प्रवृति से पता चला कि जबकि सामान्य सेवाओं (ब्याज सहित) का अंश जिसे अविकसात्मक माना गया है, कुल व्यय में 2002-03 में 41.8 प्रतिशत से 2005-06 में 26.0 प्रतिशत तक घटती हुई प्रवृति देखी गई, जिसका ब्याज भुगतान भी 2002-03 में 21.3 प्रतिशत से 2005-06 में 10.1 प्रतिशत तक घट गया। सामाजिक सेवाओं का सापेक्ष अंश 2001-02 में 34.5 प्रतिशत से 2005-06 में 25.6 प्रतिशत तक (2004-05 को छोड़कर) घटती हुई प्रवृति प्रकट होती है, जबकि आर्थिक सेवाओं का सापेक्ष अंश 2001-06 के दौरान 21.8 से 29.2 प्रतिशत के बीच विचरित था। ऋण एवं अग्रिमों का अंश 2001-02 में 5.6 प्रतिशत से 2003-04 में 2.1 प्रतिशत तक घटती हुई प्रवृति प्रकट हुई लेकिन 2005-06 में 26.6 प्रतिशत तक मुख्य रूप से पावर प्रोजेक्ट के लिए ऋणों में तीव्र वृद्धि के कारण अविश्वसनीय रूप से बढ़ी।

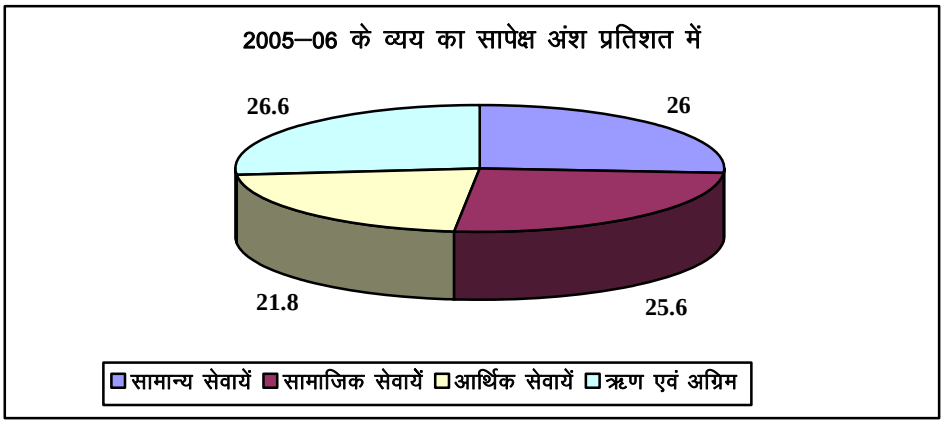

1.5.2 राजस्व व्यय का प्रभाव

राजस्व व्यय का कुल व्यय में मुख्य अंश था। राजस्व व्यय सामान्यतः सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने में और पिछले दायित्व के भुगतान में होता है तथा फलतः राज्य की आधारभूत संरचना और सेवा नेटवर्क में कोई योगदान नहीं है। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर राज्य के स.रा.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का अनुपात तथा दोनो स.रा.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्तियाँ के साथ इसकी उत्प्लावकता नीचे की **तालिका 8** में दर्शायी गयी है:-

तालिका-8: राजस्व व्यय: मूल प्राचल

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**
राजस्व व्यय (आर.ई.)	4800	5509	5406	6976	8491
गैर योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)	3538(74)	4484 (81)	4315(80)	4996 (72)	6352(75)
योजना राजस्व व्यय (पी.आर. ई.)	1262(26)	1025 (19)	1091(20)	1980 (28)	2139(25)
वृद्धि की दर (प्रतिशत) एन.पी.आर.ई.	**	26.7	(-)3.8	15.8	27.1
पी.आर.ई.	**	(-)18.8	6.4	81.5	8.0
एन.पी.आर.ई./जी.एस.डी.पी (प्रतिशत)	10.8	12.3	10.8	11.4	13.5
एन.पी.आर.ई. के सापेक्ष टी.ई. का प्रतिशत	60.4	67.3	66.2	56.2	45.1
एन.पी.आर.ई. के सापेक्ष आर.आर. का प्रतिशत	78.7	90.8	76.5	75.0	75.0
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ					
जी.एस.डी.पी. (अनुपात)	-	1.31	(-)0.21	2.96	2.75
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	-	1.50	(-)0.13	1.60	0.80

गैर- योजना राजस्व व्यय के साथ उत्प्लावकता					
जी. एस. डी.पी. (अनुपात)	-	2.36	(-)0.41	1.61	3.43
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	-	2.72	(-)0.27	0.87	1.0

** झारखण्ड 15 नवम्बर 2000 को बना था। इसलिए 2001-02 के लिए वृद्धि की दर निर्धारित नहीं की गयी। कोष्ठक में आँकड़े आर.ई.के साथ प्रतिशतता प्रदर्शित करते हैं।

राज्य का राजस्व व्यय 2004-05 के 6976 करोड़ रूपये से 2005-06 में 22 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 8491 करोड़ रूपये तक बढ़ गया। 2005-06 के दौरान, गैर योजना व्यय पिछले वर्ष से 1356 करोड़ रूपये (27 प्रतिशत) बढ़ गया जबकि योजना व्यय 159 करोड़ रूपये (आठ प्रतिशत) बढ़ा। वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण ब्याज भुगतान (279 करोड़ रूपये), आरक्षी (272 करोड़ रूपये), सामान्य शिक्षा (211 करोड़ रूपये), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (134 करोड़ रूपये), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (101 करोड़ रूपये) में अधिक व्यय और अन्य परिवहन सेवाओं (59 करोड़ रूपये) के कारण एवं चुनाव (51 करोड़ रूपये) में से अंतस्त्रोत कम व्यय द्वारा क्षतिपूर्ति था। वर्ष के दौरान मात्र वेतन (2547 करोड़ रूपये), ब्याज भुगतान (1420 करोड़ रूपये) और पेंशन (657 करोड़ रूपये) में राज्य के कुल राजस्व व्यय का 54 प्रतिशत लेखापित हुआ तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का 55 प्रतिशत उपभुक्त हुआ।

2005-06 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 60.3 प्रतिशत लेखापित हुआ। कुल व्यय और राजस्व प्राप्ति के साथ राजस्व व्यय का अनुपात 2004-05 में 78.5 प्रतिशत और 104.7 प्रतिशत से घटकर 2005-06 में क्रमशः 60.3 प्रतिशत और 100.3 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय आर राजस्व प्राप्ति के साथ गैर योजना राजस्व व्यय का अनुपात 2002-03 में 67.3 प्रतिशत और 90.8 प्रतिशत से 2005-06 के दौरान क्रमशः 45.1 प्रतिशत और 75 प्रतिशत तक बढ़ती हुई प्रवृति देखी गई। 2003-04 को छोड़कर, जी.एस.डी.पी. के साथ गैर योजना राजस्व व्यय का अनुपात 2001-02 में 10.8 प्रतिशत से 2005-06 में 13.5 प्रतिशत तक बढ़ती हुई प्रवृति देखी गई। 2002-03 से 2005-06 के दौरान जी.एस.डी.पी. के साथ गैर योजना राजस्व व्यय की उत्प्लावकता (-) 0.41 से 3.43 के मध्य विचरित थी। यह 2004-05 के 1.61 से बढ़कर 2005-06 में 3.43 तक हो गई। 2002-06 के दौरान राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में गैर योजना राजस्व व्यय की उत्प्लावकता (-)0.27 से 2.72 के मध्य विचरित थी। यह 2004-05 में 0.87 से 2005-06 में 1.0 तक बढ़ गयी। 2001-06 के दौरान गैर योजना व्यय राजस्व व्यय का लगभग तीन चौथाई लेखापित हुआ।

2004-05 के दौरान योजना राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से 889 करोड़ रूपये (81 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः जिला प्रशासन (95 करोड़ रूपये), सामान्य शिक्षा (196 करोड़ रूपये),स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (121 करोड़ रूपये) और ऊर्जा (120 करोड़ रूपये) इत्यादि में वृद्धि के कारण थी। 2005-06 के दौरान योजना राजस्व व्यय आठ प्रतिशत की सीमित वृद्धि के साथ स्थिर था।

1.5.3 प्रतिबद्ध व्यय

1.5.3.1 वेतन पर व्यय

तालिका-9: वेतन पर व्यय

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
वेतन पर व्यय जिसका	1319	1243	1932	2179	2547
गैर योजना शीर्ष	1001	1079	1744	1910	2326
योजना शीर्ष**	318	164	188	269	221
जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत जैसा	4.0	3.4	4.9	5.0	5.4
आर.आर. के प्रतिशत जैसा	29.3	25.2	34.3	32.7	30.1

** केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में भुगतान किया गया वेतन भी योजना शीर्ष में सम्मिलित है।

वर्ष के दौरान मात्र वेतन ही राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 30 प्रतिशत लेखापित हुआ। वेतन पर व्यय 2004-05 में 2179 करोड़ रूपये से 2005-06 में 2547 करोड़ रूपये तक 17 प्रतिशत बढ़ गया। 2005-06 के दौरान गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत वेतन पर व्यय पिछले वर्ष से 416 करोड़ रूपये (22 प्रतिशत) बढ़ गया जबकि योजना शीर्ष में वेतन व्यय पिछले वर्ष से 48 करोड़ रूपये (18 प्रतिशत) घट गया। 2005-06 में गैर योजना वेतन व्यय में तीव्र वृद्धि का कारण, जैसा कि प्रतिवेदित है, गृह विभाग में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की बहाली और सिंचाई विभाग में बकाये वेतन का भुगतान था। 2001-06 की अवधि के दौरान गैर योजना वेतन व्यय, वेतन पर कुल व्यय का 76 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के मध्य विचरित था (**तालिका 9**)। वेतन पर व्यय राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान और पेंशन की राशि के कुल का 40 प्रतिशत तक है जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 35 प्रतिशत के मापदण्ड से अंशतः ज्यादा है।

1.5.3.2 पेंशन भुगतान

तालिका 10 : पेंशन पर व्यय

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
पेंशन पर व्यय	515	520	560	620	657
जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत जैसा	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4
आर.आर. का प्रतिशत जैसा	11.5	10.5	9.9	9.3	7.8

2001-06 के दौरान पेंशन पर व्यय में बढ़ती हुई प्रवृति प्रकट हुई। यह 2001-02 के 515 करोड़ रूपये से 2005-06 में 657 करोड़ रूपये तक बढ़ गया। 2001-02 से 2005-06 के दौरान जी.एस.डी.पी. के साथ पेंशन का अनुपात, 2001-02 को छोड़कर जहाँ यह 1.6 प्रतिशत था, 1.4 प्रतिशत पर स्थिर रहा। तथापि, राजस्व प्राप्ति के साथ इसका अनुपात 2001-02 में 11.5 प्रतिशत से 2005-06 में 7.8 प्रतिशत तक घट गया (**तालिका 10**)। 2005-06 के दौरान पेंशन भुगतान 10 प्रतिशत का बारहवें वित्त आयोग के मानदण्ड के विरूद्ध पिछले वर्ष छः प्रतिशत से बढ़ गया। भविष्य में सेवा निवृतियों की संख्या में वृद्धि के कारण दायित्व बढ़ने की संभावना है। इसलिए राज्य सरकार बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाये गये फ्रेमवर्क के साथ पेंशन दायित्वों को बढ़ाने की घोषणा के उचित नीति की सीमा की शुरूआत करने की आवश्यकता है।

1.5.3.3 ब्याज भुगतान

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसित किया कि राज्य को राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान के स्तर को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि यह 2009-10 तक 15 प्रतिशत रह जाय। यद्यपि 2005-06 के दौरान ब्याज भुगतान पिछले वर्ष से 279 करोड़ रूपये (24 प्रतिशत) बढ़ गया, तथापि राजस्व प्राप्ति के साथ इसकी प्रतिशतता बाद में 27 प्रतिशत की वृद्धि के कारण 2004-05 और 2005-06 के दौरान 17 प्रतिशत पर स्थिर रही।

तालिका 11: ब्याज भुगतान

वर्ष	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	कुल राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान	के संदर्भ में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	
	(करोड़ रूपये में)			राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय
2001-02	4495	4800	568	13	12
2002-03	4937	5509	1419	29	26
2003-04	5638	5406	1182	21	22
2004-05	6661	6976	1141	17	16
2005-06	8464	8491	1420	17	17

जैसा कि तालिका 11 में दर्शाया गया है, ब्याज भुगतान ऋण घटाने की योजना के अन्तर्गत निम्न मूल्य उधार के साथ उच्च मूल्य ऋण के हेर-फेर के कारण 2002-03 में 1419 करोड़ रूपये (राजस्व व्यय का 26 प्रतिशत) से 2004-05 में 1141 करोड़ रूपये (16 प्रतिशत) तक घटती हुई प्रवृति देखी गई। बारहवें वित्त आयोग ने जब निर्धारित अवधि के लिए राज्य के गैर-योजना राजस्व व्यय का कार्यान्वयन करते समय ब्याज भुगतान में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर निर्धारित किया है यदि कुल राजस्व प्राप्तियों के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात 23 प्रतिशत से कम है। झारखण्ड के मामले में चूँकि यह अनुपात आधार वर्ष 2004-05 के दौरान 17 प्रतिशत है, तो ब्याज भुगतान 8.5 प्रतिशत के उचित औसत से बढ़ना चहिए, तथापि, 2005-06 के दौरान 24 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवेदित थी।

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रवंधन अधिनियम पारित नही कराने के कारण ऋण पुनर्निर्धारण तथा ब्याज राहत के रूप में वर्ष 2005-06 के दौरान 103.09 करोड़ रूपये के लाभ से वंचित होना पड़ा।

1.6 आबंटित प्राथमिकताओं द्वारा व्यय

1.6.1 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छी सामाजिक और भौतिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। इसलिए स्थायी सामाजिक और आर्थिक सेवाएँ व्यय की गुणवत्ता को निर्धारित करनेवाले कुल व्यय और जी.एस.डी.पी. के साथ पूँजीगत व्यय का अनुपात और राजस्व व्यय का समानुपात प्रचुर और प्रभावपूर्ण ढ़ंग से खर्च किये जा रहे है। कुल व्यय ओर जी.एस.डी.पी के साथ इन घटकों का अनुपात का ज्यादा होना व्यय की अच्छी गुणवत्ता है। 2001-06 के दौरान इन अनुपातों को **तालिका 12** में दर्शाया गया है।

तालिका 12: व्यय की गुणवत्ता के सूचक

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
पूँजीगत व्यय	733	866	976	1333	1839
राजस्व व्यय	4800	5509	5406	6976	8491
कुल (पूँ.व्यय.+ रा.व्यय)	5533	6375	6382	8309	10330
जिसका					
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के साथ					
(i) वैतनिक घटक	3685 (31)	3592 (33)	3739 (48)	5346 (37)	6676(35)
(ii) अवैतनिक घटक	2646 (69)	2620 (67)	2348(52)	3757(63)	4890(65)
कुल व्यय के प्रतिशत जैसा*					
पूँजीगत व्यय	13	13	15	15	13
राजस्व व्यय	82	83	83	79	60
जी. एस. डी.पी के प्रतिशत जैसा					
पूँजीगत व्यय	2.2	2.4	2.5	3.1	3.9
राजस्व व्यय	14.7	15.1	13.6	16.0	18.0

*** (रा.व्यय+पूं.व्यय. + ऋण एवं अग्रिम)**

कोष्ठक में आँकड़े सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर हुए राजस्व व्यय में वैतनिक घटक और अवैतनिक घटक की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

2001-06 की अवधि के दौरान राज्य का संकलित राजस्व व्यय कुल व्यय का 60 से 83 प्रतिशत के बीच विचरित था परिणामस्वरूप, पूँजीगत लेखा पर कमी केवल 13 से 15 प्रतिशत के बीच थी। मुख्यतः ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण 2004-05 में 6 प्रतिशत से 2005-06 में 27 प्रतिशत तक की वृद्धि के कारण राजस्व और पूँजीगत व्यय के साथ कुल व्यय की प्रतिशतता 2004-05 में 79 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से घटकर 2005-06 के दौरान क्रमशः 60 प्रतिशत और 13 प्रतिशत हो गई। यद्यपि जी.एस.डी.पी. के साथ पूँजीगत व्यय का अनुपात 2001-02 में 2.2 प्रतिशत से 2005-06 तक 3.9 प्रतिशत तक बढ़ा जोअभी भी बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सात प्रतिशत की प्रलम्बता (सभी राज्यों के औसत) से नीचे प्रतीत होता है जो आबंटित प्राथमिकताओं के बदलाव की आवश्यकता का सूचक है। 2001-06 के दौरान कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय का सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय 56 से 67 प्रतिशत के बीच विचरित था। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर अवैतनिक घटक व्यय 2003-04 में 2348 करोड़ रूपये (राजस्व और पूँजीगत व्यय का 37 प्रतिशत) से 2005-06 में नियमित रूप से बढ़कर 4890 करोड़ रूपये (47 प्रतिशत) हो गया, जबकि वैतनिक घटक 2003-04 में 22 प्रतिशत से 2005-06 में 17 प्रतिशत तक घट गया। यह व्यय की अच्छी गुणवत्ता और सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में सुधार को सूचित करता है।

1.6.2 सामाजिक सेवाओं पर व्यय

वास्तविकता है कि मानव विकास के सूचक जैसे कि आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाएँ इत्यादि की व्यवस्था का गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास के साथ गहरा संबंध है। राज्य में इन सेवाओं के पर्याप्त प्रावधान और विस्तार के प्रयत्न का निर्धारण करना इसके लिए विवेकपूर्ण होगा। 2001-06 के दौरान राज्य में सामाजिक सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय का सारांश **तालिका 13** में है।

तालिका 13: सेवाओं पर व्यय

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004.-05	2005-06
शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति					
राजस्व व्यय	**1030.5**	**1084.2**	**1017.9**	**1375.0**	**1628.1**
उसका (क) वैतनिक घटक	355.0 *(95)*	549.0 *(98)*	751.8 *(99)*	864.6 (*99)*	910.7*(99)*
(ख) अवैतनिक घटक	675.5	535.2	266.1	510.4	717.4
पूँजीगत व्यय	**4.6**	**3.3**	**5.4**	**34.4**	**171.3**
उप योग(रा.व्यय. +पूँ.व्यय)	**1035.1**	**1087.5**	**1023.3**	**1409.4**	**1799.4**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
राजस्व व्यय	**250.3**	**242.6**	**221.7**	**388.8**	**472.3**
उसका (क) वैतनिक घटक	163.7 *(62)*	106.5 *(60)*	109.2 *(76)*	200.4*(58)*	213.9*(83)*
(ख) अवैतनिक घटक	86.6	136.1	112.5	188.4	258.4
पूँजीगत व्यय	**21.7**	**2.8**	**15.8**	**38.4**	**59.3**
उसका वैतनिक घटक	7.6	-	-	-	-
उप योग(रा.व्यय. +पूँ.व्यय)	**272.0**	**245.4**	**237.5**	**427.2**	**531.6**
जलापूर्ति, स्वास्थ्य, हाउर्सिंग और शहरी विकास					
राजस्व व्यय	**124.8**	**118.7**	**113.1**	**117.1**	**166.3**
उसका (क) वैतनिक घटक	24.1 *(100*)	16.9 *(100)*	83.0 *(100)*	41.3*(100)*	45.9*(100)*
(ख) अवैतनिक घटक	100.7	101.8	30.1	75.8	120.4
पूँजीगत व्यय	**90.7**	**148**	**100.2**	**148**	**254.1**
उसका वैतनिक घटक	2.6	-	-	-	-
उप योग(रा.व्यय. +पूँ.व्यय)	**215.5**	**266.7**	**213.3**	**265.1**	**420.4**
अन्य सामाजिक सेवाएँ					
राजस्व व्यय	**491.8**	**489.9**	**516.1**	**642.7**	**793.6**
उसका (क) वैतनिक घटक	61.3 *(38)*	54.7 *(71)*	43.2 *(60)*	41.0 *(85)*	145.1*(49)*
(ख) अवैतनिक घटक	430.5	435.2	472.9	601.7	648.5
पूँजीगत व्यय	**5.7**	**7.8**	**4.2**	**5.4**	**62.4**
उप योग(रा.व्यय. +पूँ.व्यय)	**497.5**	**497.7**	**520.3**	**648.1**	**856.0**
कुल(सामाजिक सेवाएँ)					
राजस्व व्यय	**1897.4**	**1935.4**	**1868.8**	**2523.6**	**3060.3**
उसका (क) वैतनिक घटक	604.1 *(81)*	727.1*(90)*	987.2*(95)*	1147.3 *(92)*	1315.6*(91)*
(ख) अवैतनिक घटक	1293.3	1208.3	881.6	1376.3	1744.7
पूँजीगत व्यय	**122.7**	**161.9**	**125.6**	**226.2**	**547.1**
उसका वैतनिक घटक	10.2	-	-	-	-
कुल योग(रा.व्यय +पूँ.व्यय)	**2020.1 (34)**	**2097.3(32)**	**1994.4(31)**	**2749.8(31)**	**3607.4(26)**

1. कोष्ठक में आँकड़े कुल योग के विरूद्ध कुल योग के साथ सामाजिक सेवा पर व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं।
2. कोष्ठक में आँकड़े वैतनिक घटक के विरूद्ध कुल वेतन में गैर योजना वैतनिक घटक की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

2001-02 से 2005-06 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर राज्य का व्यय कुल व्यय का 26 से 34 प्रतिशत तक विचरित था। कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर 2001-06 के दौरान शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति पर 50 से 52 प्रतिशत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 12 से 16 प्रतिशत और जलापूर्ति एवं स्वच्छता, गृहनिर्माण और शहरी विकास पर 9 से 13 प्रतिशत व्यय किया गया। 2001-06 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर राजस्व और पूँजीगत व्यय की प्रवृति से उद्घाटित हुआ कि 6 से 15 प्रतिशत के बीच विचरित पूँजीगत व्यय का अंश राजस्व व्यय के मुख्य अंश निरूपित करती है। सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में से वैतनिक घटक का अंश 2001-02 में 32 प्रतिशत से 2003-04 में 53 प्रतिशत बढ़ गया लेकिन 2005-06 में अवैतनिक घटक पर अधिक व्यय अंतर्भूत कर 43 प्रतिशत तक घट गया। शिक्षा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्राथमिकता क्षेत्र में भी, वास्तविकता के बावजूद कि वैतनिक घटक अपने

राजस्व व्यय में मुख्य घटक था, वैतनिक घटक में शिक्षा (क्रीड़ा, कला और संस्कृति को सम्मिलित कर) 2003-04 में 74 प्रतिशत से 2005-06 में 56 प्रतिशत और स्वास्थ्य में 2003-04 में 49 प्रतिशत से 2005-06 में 45 प्रतिशत की कमी और पूँजी तथा अवैतनिक घटक में बढ़ती हुई प्रवृति सेवाओं की बढ़ोतरी और गुणवत्ता की छवि को निरूपित करती है जो इन क्षेत्रों के द्वारा प्रदान किया गया था। सामान्य शिक्षा में गैर योजना वैतनिक घटक 2005-06 के दौरान पिछले वर्ष से 5.1 प्रतिशत बढ़ गया जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित छः प्रतिशत के मानदण्ड के अन्तर्गत है जबकि अवैतनिक घटक 70 प्रतिशत बढ़ गया जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 30 प्रतिशत के मानदण्ड से वस्तुतः ज्यादा है। तथापि, स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर योजना वैतनिक घटक पाँच प्रतिशत के बारहवें वित्त आयोग के मानदण्ड के विरूद्ध 51 प्रतिशत बढ़ गया जबकि अवैतनिक घटक 2005-06 के दौरान पिछले वर्ष से 121 प्रतिशत बढ़ गया। तथापि, सामान्य शिक्षा और स्वास्थ्य में वैतनिक और अवैतनिक घटक की संयुक्त वृद्धि दर बारहवें वित्त आयोग के मानदण्ड 9.5 प्रतिशत और 11.5 प्रतिशत के विरूद्ध क्रमशः 16.6 प्रतिशत और 81 प्रतिशत था।

1.6.3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय

आर्थिक सेवाओं पर व्यय में वैसे सभी व्यय सम्मिलित हैं जो राज्य के अर्थ की उत्पादक क्षमता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आगे बढ़ाता है। आर्थिक सेवाओं पर व्यय (3069 करोड़ रूपये) कुल व्यय का 22 प्रतिशत लेखापित हुआ **(तालिका 14)**। इसमें से, कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप, सिंचाई और खाद्य नियंत्रण,ऊर्जा और परिवहन पर व्यय का लगभग 59 प्रतिशत उपभुक्त हआ।

तालिका 14: आर्थिक क्षेत्र में व्यय

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**
कृषि, संबद्ध क्रियाकलाप					
राजस्व व्यय	**279.1**	**283.8**	**308.7**	**448.9**	**446.4**
उसका(क) वैतनिक घटक	118.0 *(86)*	80.2*(91)*	185.9 *(61)*	186.1 *(66)*	128.5*(96)*
(ख)अवैतनिक घटक	161.1	203.6	122.8	262.8	317.9
(ख) पूँजीगत व्यय		**0.6**	**0.1**	**-**	**7.7**
उप योग(रा.व्यय+पूँ.व्यय)	**279.1**	**284.4**	**308.8**	**448.9**	**454.1**
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण					
राजस्व व्यय	**46.3**	**36.9**	**44.4**	**39.1**	**116.9**
उसका (क) वैतनिक घटक	16.9 *(100)*	12.7 *(100)*	23.6 *(100)*	27.3 *(100)*	98.4 *(100)*
(ख) अवैतनिक घटक	29.4	24.2	20.8	11.8	18.5
पूँजीगत व्यय	**189.9**	**223.5**	**314.9**	**256.9**	**340.6**
उसका वैतनिक घटक	51.0	41.3	25.8	63.0	31.2
उप योग (रा.व्यय+पूँ.व्यय)	**236.2**	**260.4**	**359.3**	**296.0**	**457.5**
शक्ति एवं ऊर्जा					
राजस्व व्यय	**3.0**	**101.3**	**95.6**	**358.7**	**441.4**
उसका (क) वैतनिक घटक	-	-	-	-	-
(ख) अवैतनिक घटक	3.0	101.3	95.6	358.7	441.4
पूँजीगत व्यय	**30.0**	**39.8**	**2.0**	**48.4**	**30.0**
उप योग(रा.व्यय+पूँ.व्यय)	**33.0**	**141.1**	**97.6**	**407.1**	**471.4**
परिवहन					
राजस्व व्यय	**344.7**	**60.6**	**109.0**	**203.0**	**173.8**
उसका (क) वैतनिक घटक	28.0 *(96)*	13.8 *(87)*	35.2 *(97)*	31.1 *(96)*	34.8 *(95)*
(ख) अवैतनिक घटक	316.7	46.8	73.8	171.9	139.0

पूँजीगत व्यय	**106.5**	**171.7**	**165.4**	**241.1**	**249.4**
उसका वैतनिक घटक	12.4	-	-	-	-
उप योग (रा.व्यय+पूँ.व्यय)	**451.2**	**232.3**	**274.4**	**444.1**	**423.2**
अन्य आर्थिक सेवाएँ					
राजस्व व्यय	**389.3**	**338.3**	**370.4**	**459.5**	**674.6**
उसका (क) वैतनिक घटक	135.3 *(74)*	69.7 *(83)*	109.8 *(95)*	114.3 *(91)*	152.3 *(79)*
(ख) अवैतनिक घटक	254.0	268.6	260.6	345.2	522.3
पूँजीगत व्यय	**276.0**	**238.4**	**334.3**	**540.9**	**588.0**
उसका वैतनिक घटक	62.6	27.6	23.7	20.4	25.8
उप योग (रा.व्यय+पूँ.व्यय)	**665.3**	**576.7**	**704.7**	**1000.4**	**1262.6**
कुल (आर्थिक सेवाएँ)					
राजस्व व्यय	**1062.4**	**820.9**	**928.1**	**1509.2**	**1853.1**
उसका (क) वैतनिक घटक	298.2 *(82)*	176.4 *(88)*	354.5 *(78)*	358.8 *(79)*	414.0 *(91)*
(ख) अवैतनिक घटक	764.2	644.5	573.6	1150.4	1439.1
पूँजीगत व्यय	**602.4**	**674.0**	**816.7**	**1087.3**	**1215.7**
उसका वैतनिक घटक	126.0	68.9	49.5	83.4	57.0
सकल योग (रा.व्यय+पूँ.व्यय)	**1664.8(28)**	**1494.9(22)**	**1744.8(27)**	**2596.5(29)**	**3068.8 (22)**

1. कोष्ठक में वैतनिक घटक के साथ आँकड़े कुल वेतन में गैर वैतनिक घटक की प्रतिशतता को दर्शाता है।
2. कोष्ठक में सकल योग के साथ आँकड़े कुल व्यय से आर्थिक सेवाओं पर व्यय की प्रतिशतता को दर्शाता है।

2001-06 के दौरान आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में से कृषि और संबद्ध कार्यकलाप पर 15 से 19 प्रतिशत, सिंचाई और खाद्य नियंत्रण पर 11 से 21 प्रतिशत, ऊर्जा और शक्ति पर 2 से 16 प्रतिशत और परिवहन पर 14 से 27 प्रतिशत व्यय किया गया था। 2001-06 के दौरान आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में वैतनिक घटक 15 से 25 प्रतिशत के बीच विचरित था। गैर योजना वैतनिक घटक 2004-05 में 284 करोड़ रूपये से 2005-06 में 376 करोड़ रूपये तक बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसित पाँच प्रतिशत वृद्धि के विरूद्ध 32 प्रतिशत बढ़ गया।

आर्थिक सेवाओं पर राजस्व और पूँजीगत व्यय में प्रवृति दर्शाती है कि पूँजीगत व्यय 2001-02 में 602.4 करोड़ रूपये (36 प्रतिशत) से 2005-06 में 1215.7 (40 प्रतिशत) तक बढ़ी, जबकि अन्तः वर्षीय अस्थिरता के साथ राजस्व व्यय 2001-02 में 1062.4 करोड़ रूपये (64 प्रतिशत) से 2005-06 में 1853.1 करोड़ रूपये (60 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2005-06 के दौरान राजस्व व्यय में पिछले वर्ष के 344 करोड़ रूपये (23 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण विकास (163 करोड़ रूपये), सिंचाई और खाद्य नियंत्रण (78 करोड़ रूपये) और ऊर्जा (82 करोड़ रूपये) में वृद्धि के कारण थी। राजस्व व्यय में से वैतनिक घटक 2001-06 के दौरान 21 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक विचरित था। यह 2003-04 में 355 करोड़ रूपये (38 प्रतिशत) से 2005-06 में 414 करोड़ रूपये (22 प्रतिशत) तक बढ़ गया जबकि अवैतनिक घटक 574 करोड़ रूपये (62 प्रतिशत) से 1439 करोड़ रूपये (78 प्रतिशत) तक बढ़ गया जो सम्भवतः उनके संधारण एवं सेवाओं की अच्छी गुणवत्ता की ओर आबंटित प्राथमिकताओं का सूचक है।

1.6.4 स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्वायत्त निकाय एवं प्राधिकार गैर-वाणिज्यिक कार्यकलाप एवं लोकोपयोगी सेवा निष्पादित करते है। ये निकाय एवं प्राधिकार सरकार से पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार अन्य संस्थानों जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संबंधित राज्य सहकारिता संस्था अधिनियम, कम्पनी अधिनियम 1956 आदि के

अंतर्गत पंजीकृत है, को भी पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार द्वारा अनुदान नगरपालिकाओं एवं स्थानीय निकायों के अंतर्गत मुख्यतः शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, दातव्य संस्थाओं, विद्यालयों एवं अस्पताल भवनों के निर्माण एवं रख- रखाव, सड़क एवं अन्य संचार सुविधाओं की उन्नति के लिए दिया जाता है।

2001-06 की अवधि के दौरान विभिन्न निकायों को प्रदान की गयी सहायता की प्रमात्रा निम्नलिखित थीः

तालिका 15 : वित्तीय सहायता

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	निकाय/ प्राधिकार आदि	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1.	विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान	200.94	234.82	219.59	222.41	363.95
2.	नगर निगम और नगरपाालिकाएँ	39.58	44.20	18.18	48.83	77.28
3.	जिला परिषद और पंचायती राज संस्थान	शून्य	7.75	21.29	8.83	93.09
4.	विकास अभिकरण	10.46	97.01	101.67	639.68	551.39
5.	अन्य संस्थान (सांविधिक निकाय सहित)	115.93	75.32	91.43	38.16	69.79
	कुल	**366.91**	**459.10**	**452.16**	**957.91**	**1155.50**
	राजस्व प्राप्तियों से सहायता की प्रतिशतता	8	9	8	14	14
	राजस्व व्यय से सहायता की प्रतिशतता	8	8	8	14	14

2001-06 के दौरान राज्य द्वारा दी गई सहायता राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के 8 से 14 प्रतिशत के बीच विचरित थी। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2001-02 में 366.91 करोड़ रूपये से 2003-04 में 452.16 करोड़ रूपये तक सतत वृद्धि हुई लेकिन विकासशील अभिकरणों की सहायता में भारी वृद्धि के कारण 957.91 करोड़ रूपये और 1155.50 करोड़ रूपये तक भारी वृद्धि क्रमशः 2004-05 और 2005-06 में हुई। 2005-06 में सहायता में पिछले वर्ष से 197.59 करोड़ रूपये की वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत समिति, जिला परिषद इत्यादि को (84.26 करोड़ रूपये),उच्च शिक्षा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और प्राथमिक और जन शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक संस्थानों को (139.82 करोड़ रूप्पये) और श्रम विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अन्य संस्थानों को (17.86 करोड़ रूपये) सहायता में वृद्धि तथा सहकारिता समितियों एवं संस्थानों को सहायता में कमी (49.24 करोड़ रूपये) के द्वारा आंशिक क्षतिपूर्ति के कारण हुई।

1.6.5 भारत सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को अनुदानों से वंचन

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि स्थानीय निकायों के चुनाव कराये जाने में राज्य सरकार की अक्षमता के कारण ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अपेक्षित 304.62 करोड़ रूपये से वंचित रहना पड़ा। परिणामस्वरूप, स्थानीय निकायों को उनके संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों का स्थानांतरण भारत सरकार से ऐसे निकायों के लिए अनुदान क्षति की सीमा तक घट गया जिससे राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में सेवाओं का दिया जाना बुरी तरह प्रभावित हुआ।

1.6.6 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के उपस्थापन में विलम्ब

2005-06 को भुगतान किया गया कुल अनुदान 3147.75 करोड़ रूपये के सापेक्ष देय 1676 उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यू.सी.) में से 2093.09 करोड़ रूपये की कुल राशि के लिए 1221 प्रमाण–पत्र बकाया में थे। लंम्बित प्रमाण-पत्रों के विभागवार विघटन का ब्योरा ***परिशिष्ट 1.6*** में दिया गया है।

1.6.7 लेखे का सम्मिलित नही किया जाना

संस्थानों की पहचान के क्रम में, जो नियंत्रक- महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 और 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा से संबंधित है। विभाग के प्रधान/सरकार को आवश्यक है कि संस्थानों को की गयी वित्तीय सहायता, सहायता स्वीकृति का उद्देश्य तथा संस्थाओं के कुल व्यय की विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायें। अक्टूबर 2006 तक, सरकार के किसी भी विभाग द्वारा 2005-06 के ब्योरे को प्रस्तुत नही किया है।

1.6.8 स्वायत्त निकायों के निष्पादन का सार

राज्य में सिर्फ एक निकाय के लेखे की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक को न्यस्त किया गया है। लेखापरीक्षा का न्यस्तीकरण, लेखापरीक्षा को लेखे का समर्पण, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन और विधानमंडल में इसके उपस्थापन की स्थिति **तालिका 16** में दर्शायी गयी है।

तालिका 16

स्वायत्त निकाय का नाम	तक लेखापरीक्षा का न्यस्तीकरण	लेखा का वर्ष	स्वायत्त निकाय के लेखे की प्राप्ति की तिथि	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निर्गमन की तिथि	तिथि जब विधानमंडल के समक्ष उपस्थापित की गई
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची	2001-02 से 2005-06	2001-02	29.11.2005	11.09.2006	उपस्थापन के संबंध में कोई सूचना नहीं

1.7 परिसम्पत्तियाँ और दायित्व

सरकारी लेखा प्रणाली में अचल संपत्तियों यथा भूमि, भवन, आदि जो सरकारी होते हैं का विस्तृत लेखा प्रस्तुत नही किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखा सरकार के वित्तीय दायित्वों एवं व्यय से बनी परिसंपत्तियों का लेखा होता है। ***परिशिष्ट 1.2*** ऐसी परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के सार को जैसा कि 31 मार्च 2006 को है, 31 मार्च 2005 की तत्संबंधी स्थिति की तुलना में प्रस्तुत करता है। जबकि इस परिशिष्ट में दायित्व मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से दिए गये ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा एवं रक्षित निधि से प्राप्तियाँ, परिसम्पत्तियाँ में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम और रोकड़ शेष होते हैं। ***परिशिष्ट 1.5,*** 2001-06 की अवधि के लिए राज्य सरकार के वित्त पर समय सारणी आँकड़े प्रस्तुत करता है। वर्ष 2001-02 से

2005-06 के दौरान राज्य का दायित्व के साथ परिसंपत्तियों का अनुपात क्रमशः 34 प्रतिशत, 33 प्रतिशत, 44 प्रतिशत और 64 प्रतिशत था, जो **तालिका 23** में दिखाया गया है। दायित्व के साथ परिसम्पत्तियों का निम्न अनुपात अंशतः इस तथ्य के कारण है कि जब संयुक्त बिहार से लोक ऋण दायित्व 5991 करोड़ रूपये की राशि राज्य को मिली परिसंपत्तियों का बँटवारा अभी तक नही हुआ है (अक्टूबर 2006)।

1.7.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

एक करोड़ रूपये या उससे अधिक के कुल निवेश के साथ पथ निर्माण विभाग (8), भवन निर्माण विभाग (1) और जल संसाघन विभाग (2) से संबंधित 11 अपूर्ण परियोजनाओं में 31 मार्च 2006 तक कुल निवेश 1310.17 करोड़ रूपये सन्निहित थी। अपूर्ण परियोजनाओं में 1310.17 करोड़ रूपये के कुल निवेश में से 93 प्रतिशत (1223.60 करोड़ रूपये) सिर्फ एक सिंचाई परियोजना (स्वर्णरेखा परियोजना) में लगाई गई है जो यद्यपि एक दशक पहले शुरू की गई थी लेकिन अभी पूर्ण किया जाना बाकी है।

1.7.2 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकार के कार्यकलाप किये जाते हैं। विभिन्न विभागों से संबंधित इस प्रकार की 63 इकाइयाँ हैं यथा उद्योग (12), वन एवं पर्यावरण (25), पशुपालन (2), स्वास्थ्य (1),श्रम (1), वित्त (1) और कृषि (21) जिन्हें वार्षिक रूप से प्रोफार्मा लेखा तैयार करना है। तथापि, 1997-98 एवं 2005-06 के मध्य संचालित 10 संबंधित इकाइयों की लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि उनके पास प्रारंभ से ही किसी प्रकार का प्रोफार्मा लेखा नहीं था। अन्य शेष इकाइयों से संबंधित आवश्यक ब्योरे उपलब्ध नही हैं।

1.7.3 निवेश एवं आवर्त

31 मार्च 2006 को, सरकार ने नये राज्य के प्रारम्भ से 25.05 करोड़ रूपये पाँच सरकारी कम्पनियों (21.29 करोड़ रूपये) और सात सहकारिता बैंको एवं समितियों (3.76 करोड़ रूपये) में निवेश किया। वर्ष 2001-06 के दौरान सरकार द्वारा उधार वापसी पर दिये गये ब्याज दर छः से नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा निवेश पर आवर्त नगण्य था। संयुक्त राज्य बिहार द्वारा 14 नवम्बर 2000 तक इन संस्थाओं के साथ-साथ सांविधिक निगमों एवं ज्वायंट स्टॉक कम्पनियों के निवेश का विभाजन पूर्ववर्ती राज्य बिहार एवं झारखण्ड के मध्य नहीं हुआ है।

तालिका 17: निवेश पर आवर्त

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	वर्ष के अन्त तक निवेश	आवर्त	आवर्त की प्रतिशतता	सरकारी उधार पर व्यय की दर	ब्याज दर एवं आवर्त के मध्य भिन्नता
	करोड़ रूपये में			*(प्रतिशत)*	
2001-02	13.99	शून्य	शून्य	9.37	9.37
2002-03	15.55	शून्य	शून्य	7.22	7.22
2003-04	16.60	शून्य	शून्य	6.15	6.15
2004-05	18.05	1.0	6	6.56	0.56
2005-06	25.05	शून्य	शून्य	7.55	7.55

1.7.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियाँ, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार इनमें से कई संस्थाओं/ संगठनों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती है। वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार ने 3746.84 करोड़ रूपये राशि का ऋण एवं अग्रिम प्रदान किया जो पिछले वर्ष से 3170.04 करोड़ रूपये अधिक थी। यह वृद्धि मुख्यतः झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद को 3554 करोड़ रूपये की राशि अग्रिम ऋण देने के कारण थी, जिसमें 3064 करोड़ रूपये समूह ऋण एवं 490 करोड़ रूपये का अग्रिम ऋण विद्युत परिषद द्वारा निर्गत बाँड के विरूद्ध बकाये ब्याज के पुनर्भुगतान के रूप में सन्निहित था। यद्यपि टी.डब्ल्यू.एफ.सी. ने अनुशंसा की है कि सरकार के ऋण पर ब्याज की प्राप्ति पंचाट अवधि (2009-10) के अन्त तक धीरे- धीरे सात प्रतिशत तक हो जानी चाहिए, परन्तु वर्ष 2005-06 के दौरान बकाये ऋण पर ब्याज प्राप्ति मात्र 2.1 प्रतिशत थी जिसमें उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यक है। तथापि, वर्ष 2005-06 के दौरान कुल ब्याज प्राप्ति का, 99 प्रतिशत से अधिक भारतीय रिजर्व बैंक के यहाँ रखे गये सरकार के रोकड़ शेष एवं अन्य दूसरे स्त्रोतों से अर्जित ब्याज आय का अंशदान है। इस प्रकार, सरकार द्वारा संस्थाओं/ संगठनों को दिये गये ऋण अग्रिमों पर ब्याज प्राप्ति नगन्य थी। वर्ष 2001-06 की अवधि के दौरान बकाये ऋण एवं अग्रिमों के कुल पुनर्भुगतान का, इस अवधि के दौरान सरकारी संस्थाओं/संगठनों द्वारा किया गया कुल पुनर्भुगतान का 2 से 18 प्रतिशत तक विचरण, बहुत कम था।

तालिका 18: राज्य सरकार की ब्याज प्राप्तियाँ

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**
आरंभिक शेष	22.82	349.51	631.20	760.79	1330.01
वर्ष के दौरान दिये गये अग्रिम की राशि	329.18	284.92	133.53	576.80	3746.84
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	2.49	3.23	3.94	7.58	9.81
अन्तशेष	**349.51**	**631.20**	**760.79**	**1330.01**	**5067.04**
निवल योग	326.69	281.69	129.59	569.22	3737.03
प्राप्त ब्याज	61.06	96.08	46.65	18.63	71.49
ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	32.80	19.59	6.70	1.78	2.24
राज्य सरकार द्वारा भुगतान विये गये ब्याज का औसत (प्रतिशत)	8.09	16.97	12.13	9.48	9.20
भुगतान किये गये और प्राप्त ब्याज के मध्य भिन्नता (प्रतिशत)	24.71	2.62	(-)5.43	(-)7.70	(-)6.96

[#] ऋण के पुराने अंतशेष पर संभूति ब्याज जिसका बँटवारा संयुक्त बिहार से झारखण्ड को अभी होना है, सम्मिलित है।

1.7.5 रोकड़ शेष का प्रबंधन

सामान्यतः यह अपेक्षित है कि राज्य के संसाधनों की प्रवृति का इसके व्यय दायित्वों से मेल होना चाहिए। तथापि, संसाधनों एवं व्यय दायित्वों की प्रवृति में किसी अस्थायी बेमेल का घ्यान रखने हेतु, भारत के रिर्जव बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ) का एक तंत्र रखा गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान झारखण्ड की अर्थोपाय सीमा 225 करोड़ रूपये थी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की सुरक्षा के विरूद्ध विशेष अर्थोपाय अग्रिम 6.90 करोड़ रूपये से अधिक नहीं (1 अप्रैल 2005 से प्रभावी), 6.82 करोड़ रूपये (1 जुलाई 2005 से प्रभावी), 6.74 करोड़ रूपये (1 अक्टूबर 2005 से प्रभावी), 4.46 करोड़ रूपये (11 अक्टूबर 2005 से प्रभावी) और 4.40 करोड़ रूपये

(1 जनवरी 2006 से प्रभावी) 31 मार्च 2006 तक प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने किसी भी समय वित्त के स्त्रोत का उपयोग नहीं किया।

1.8 अभुक्त दायित्व

1.8.1 राजकोषीय दायित्व- लोक ऋण एवं प्रतिभूतियाँ

दायित्व दो प्रकार के होते है, नामतः लोक ऋण एवं अन्य दायित्व। लोक ऋण में राज्य का आंतरिक ऋण समाहित है और इसे समेकित निधि-पूँजीगत लेखा के अन्तर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणी में प्रतिवेदित करना है। इसके अन्तर्गत बाजार ऋण, भारतीय रिर्जव बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्गत विशेष सुरक्षा तथा केंद्र सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम आते हैं। भारत का संविधान प्रावधान करता है कि राज्य अपनी समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत के क्षेत्र के भीतर ऐसी सीमाओं में, जो समय-समय पर विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई हो, उधार ले सकता है और ऐसी सीमाओं के भीतर, जैसा कि निर्धारित हो प्रतिभूति दे सकता है। तथापि, राज्य द्वारा इस प्रकार का कोई कानून पारित नही किया गया। अन्य दायित्व, जो लोक लेखा के एक भाग होते हैं में लघु बचत योजना, भविष्य निधि एवं अन्य जमा के अन्तर्गत किये गये जमा आते हैं।

तालिका 19 राज्य के राजकोषीय दायित्वों, इसकी वृद्धि की दर, इन दायित्वों का स.रा.घ.उ. राजस्व प्राप्तियाँ तथा अपने संसाधनों से अनुपात और इन प्राचलों के साथ इन दायित्वों की उत्प्लावकता दर्शाती है।

तालिका 19: राजकोषीय दायित्व मूल प्राचल

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
राजकोषीय दायित्व* (करोड़ रूपये में)	7804	8923	10569	13512	17360
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	--	14.3	18.5	27.8	28.5
राजकोषीय दायित्वों के अनुपात से					
स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	23.9	24.5	26.6	30.9	36.8
राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	173.6	180.7	187.5	202.9	205.1
स्वयं के संसाधन (प्रतिशत)	320.1	326.0	341.8	393.2	414.8
राजकोषीय दायित्वों की उत्प्लावकता से					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	#	1.27	2.01	2.84	3.61
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	#	1.46	1.30	1.54	1.05
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	#	1.16	1.42	2.50	1.31

* यहाँ दिखाये गये आँकड़े जैसा कि परवर्ती राज्य बिहार और झारखण्ड के बीच लंबित बंटवारे के कारण 14 नवम्बर 2000 को था, संयुक्त बिहार के जमा रक्षित निधि, भविष्य निधियों के अंतशेषों से संबन्धित दायित्वों को छोड़कर दर्शाये गये है।

\# अतुलनीय, क्योंकि झारखण्ड का निर्माण 15 नवम्बर 2000 को हुआ था।

राज्य के समग्र राजकोषीय दायित्व की वृद्धि 24.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से 2001-02 में 7804 करोड़ रूपये से 2005-06 में 17360 करोड़ रूपये तक बढ़ी। 2005-06 के दौरान पिछले वर्ष के वनिस्पत वृद्धि दर 28.5 प्रतिशत थी। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात भी 2000-01 के 23.9 प्रतिशत से 2005-06 में 36.8 प्रतिशत बढ़ा। ये दायित्व, वर्ष 2005-06 के अन्त तक राजस्व प्राप्तियों का दुगुना और राज्य के स्वयं के स्त्रोत का लगभग चार गुणा हो गया। राजकोषीय दायित्व राज्य के

स.रा.घ.उ. की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा। वर्ष के दौरान स.रा.घ.उ. के संबंध में इन दायित्वों की उत्प्लावकता 3.61 होना दर्शाता है कि स.रा.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि के लिए राजकोषीय दायित्व में 3.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

संयुक्त राज्य बिहार के ऐसे दायित्वों का बँटवारा उत्तरवर्ती बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक नहीं हुआ है (अक्टूबर 2006)। झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों के बारे मे सूचना सरकार द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।

2005-06 के अन्त तक राजकोषीय दायित्व में आन्तरिक ऋण (13018 करोड़ रूपये), केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम (2846 करोड़ रूपये), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (491 करोड़ रूपये) और अन्य दायित्व (1005 करोड़ रूपये) समाविष्ट है। आन्तरिक ऋण (13018 करोड़ रूपये) में बाजार ऋण का अंश 3553 करोड़ रूपये था, केन्द्र सरकार (7036 करोड़ रूपये), क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉंड (2126 करोड़ रूपये) एवं अन्य संस्थानों (303 करोड़ रूपये) का एन.एस.एस. निधि को विशेष प्रतिभूतियाँ जारी थी।

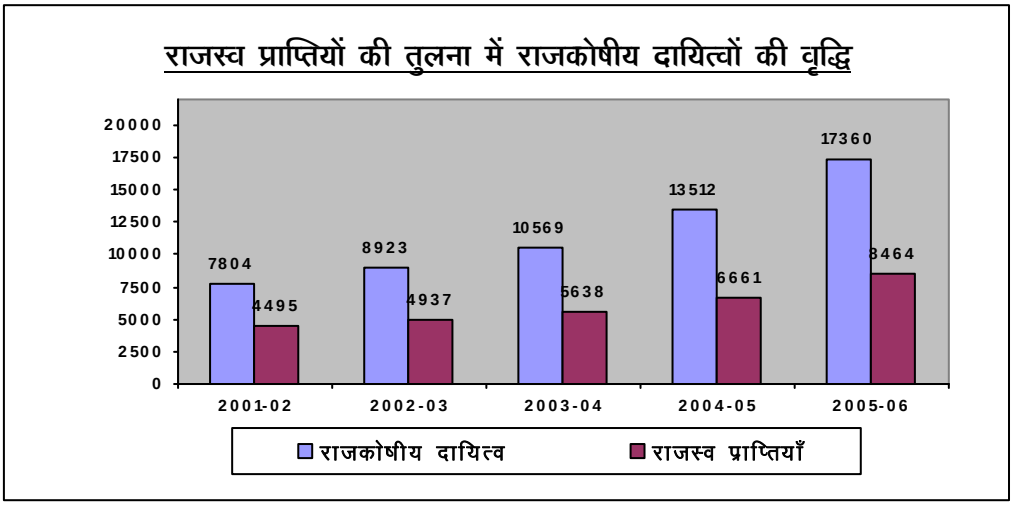

बढ़ते हुए दायित्व ने राज्य सरकार के वित्त के स्थायित्व के मुद्दे का सृजन किया।

1.8.2 ऋण दीर्घकालीनता

ऋण दीर्घकालीनता को परिभाषित किया गया है कि समय के अनुसार एक सतत ऋण -स.घ.उ. अनुपात को संधारित करने की क्षमता का होना साधारण शब्दों में, लोक ऋण तब तक दीर्घकालीन रह सकता है जबतक आय की वृद्धि की दर ब्याज दर से बढ़ जाती है या इस शर्त के साथ लोक ऋण के मूल्य का प्राथमिक शेष या तो धनात्मक हो या शून्य। दर विस्तार (जी.एस.डी.पी वृद्धि दर-ब्याज दर) और प्रमात्रा विस्तार (ऋण x दर विस्तार), ऋण दीर्घकालीनता दर्शाती है कि यदि प्रमात्रा का विस्तार प्राथमिक घाटा शून्य के साथ होता है, ऋण- जी.डी.पी. अनुपात बढ़ता हुआ या दीर्घकालीन होगा। दूसरी तरफ, यदि लो.ऋ, प्र.वि.से अधिक है, ऋण-स.घ.उ. बढ़ेगा और यदि लो.ऋ, प्र.वि,से कम है तो यह घटेगा।

तालिका 20: ऋण दीर्घकालीनता ब्याज दर और स.रा.घ.उ. वृद्धि

(प्रतिशत में)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
बढ़ी हुई ब्याज दर	17.0	12.1	9.5	9.2
स.रा.घ.उ. वृद्धि	11.3	9.2	9.8	7.9
ब्याज विस्तार	(-)5.7	(-)2.9	0.3	(-)1.3
कुल ऋण (करोड़ रूपये में)	8923	10569	13512	17360
प्रमात्रा विस्तार(करोड़ रूपये में)	(-)508.61	(-)306.50	40.54	(-)225.68
प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य (+)(करोड़ रूपये में)	(-)301	(+)308	(-)1076	(-)4183

तालिका 20 से उद्घाटित होता है कि वर्ष 2002-06 के दौरान प्रमात्रा विस्तार प्राथमिक घाटा के साथ लगातार ऋणात्मक रहा, यह इस अवधि के दौरान ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात का बढ़ना दिखाता है। ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात 2001-02 में 23.9 प्रतिशत से नियमित रूप से 2005-06 में 36.8 प्रतिशत तक बढ़ गया। राजकोषीय घाटा से स.रा.घ.उ. का अनुपात वर्ष 2004-05 में पाँच प्रतिशत से 2005-06 में 12 प्रतिशत तक बढ़ा। यदि निकट भविष्य में यही प्रवृति बनी रही तो राज्य की ऋण-स्थिति कमजोर हो जाएगी।

1.8.3 निधि की निवल उपलब्धता

ऋण दीर्घकालीनता की एक मुख्य पहचान है पिछले सांविधिक दायित्वों और ब्याज के मूल के भुगतान के बाद निधि की निवल उपलब्धता। नीचे दी गई तालिका 21 राज्य के पिछले पाँच वर्षों की प्राप्तियों और आंतरिक ऋण के पुनर्भुगतान तथा अन्य राजकोषीय दायित्वों की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 21: उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
आंतरिक ऋण[♣]					
प्राप्तियाँ	1208	1482	1951	3057	3495
पुनर्भुगतान (मूल+ ब्याज)	107	748	653	836	1016
निवल उपलब्ध निधि	1101	734	1298	2221	2479
निवल उपलब्ध निधि **(प्रतिशत)**	91	50	67	73	71
भा. स. से ऋण एवं अग्रिम					
प्राप्तियाँ	389	408	471	513	6
पुनर्भुगतान (मूल+ ब्याज)	663	1354	1304	1028	476
निवल उपलब्ध निधि	[#]	#	#	#	#
निवल उपलब्ध निधि **(प्रतिशत)**	#	#	#	#	#
अन्य दायित्व					
अन्य प्राप्तियाँ	*1118*	1536	1599	1428	1782
पुनर्भुगतान (मूल+ ब्याज)	947	1572	1600	1334	1362
निवल उपलब्ध निधि	*171*	#	#	94	420
निवल उपलब्ध निधि **(प्रतिशत)**	15	#	#	7	24
कुल दायित्व					
प्राप्तियाँ	*2715*	3426	4021	4998	5283
पुनर्भुगतान (मूल+ ब्याज)	1717	3674	3557	3198	2854
निवल उपलब्ध निधि	*998*	#	464	1800	2429
निवल उपलब्ध निधि **(प्रतिशत)**	37	#	12	36	46

[♣] अर्थोपाय अग्रिमों को छोड़कर आंतरिक ऋण।

[#] निधियों की उपलब्धता ऋणात्मक थी।

भारत सरकार के आन्तरिक ऋण और ऋण एवं अग्रिम और अन्य दायित्वों के कारण ब्याज और पुनर्भुगतान के प्रावधान किये जाने के पश्चात, निवल निधियाँ 2001-06 के दौरान घटाव सात प्रतिशत से 46 प्रतिशत तक विचरित थी। तथापि, चालू वर्ष के दौरान घटे हुए पुनर्भुगतान के कारण निवल उपलब्धता 2004-05 में 36 प्रतिशत से 2005-06 में 46 प्रतिशत तक बढ़ गयी।

तालिका 21 आंतरिक ऋण के कारण उधार की बढ़ती हुई प्रवृति को प्रदर्शित करती है। आन्तरिक ऋण प्राप्ति 2001-02 में 1208 करोड़ रूपये से 2005-06 में 3495 करोड़ रूपये तक 189 प्रतिशत बढ़ गयी।

राज्य सरकार ने 2004-05 के दौरान 6.56 प्रतिशत की औसत दर पर 559.65 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2005-06 के दौरान औसत ब्याज दर 7.55 प्रतिशत पर 364.12 करोड़ रूपये के बाजार ऋण का सृजन किया। राज्य सरकार ने 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय लघु बचत निधि से 9.5 प्रतिशत की दर से 1633.81 करोड़ रूपये और क्षतिपूरक एवं अन्य बाँड्स पर 8.5 प्रतिशत की दर से 1216.26 करोड़ रूपये उधार लिया। तदन्तर, ऋण प्रतिस्थापन योजना के अन्तर्गत उच्च लागत ऋण के साथ निम्न लागत उधार के कारण भारत सरकार के ऋण पर ब्याज भुगतान 2002-03 में 495 करोड़ रूपये से घटकर 2005-06 में 325 करोड़ रूपये हो गया। भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के साथ पुनर्भुगतान 2002-03 में 1354 करोड़ रूपये से 2005-06 में 476 करोड़ रूपये तक सतत रूप से घटता गया।

31 मार्च 2005 को राज्य सरकार के वर्तमान बाजार ऋण के 38 प्रतिशत पर ब्याज दर 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई। इस प्रकार, अपने पूर्व ऋण पर उधार की प्रभावी लागत उस दर से ज्यादा है जिसपर वे वर्तमान में बाजार से संसाधनों के सृजन में सक्षम है। राज्य सरकार के बाजार ऋणों का परिपक्वता रेखाचित्र दर्शाता है कि कुल बाजार ऋण का 38 प्रतिशत अगले पाँच वर्षों के भीतर पुनर्भुगतान योग्य था जबकि शेष 62 प्रतिशत ऋण का पुनर्भुगतान 6 से 11 वर्षों के भीतर किया जाना अपेक्षित था।

1.9 घाटे का प्रबंधन

सरकारी लेखा में घाटा, इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अन्तराल को निरूपित करता है। घाटे की प्रवृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का सूचक है। तदन्तर, साधन जिसमें, घाटा वित्त पोषित किया जाता है तथा इस प्रकार सृजित संसाधन प्रयुक्त की जाती है, राजकोषीय स्वास्थ्य के मुख्य सूचक है।

राज्य का राजस्व घाटा दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय वर्ष 2001-02 में 305 करोड़ रूपये से वर्ष 2005-06 में 27 करोड़ रूपये तक घट गया। राजकोषीय घाटा, जो सरकार के कुल उधार और कुल संसाधन अंतराल को दर्शाता है, वर्ष 2001-02 में 1365 करोड़ रूपये से वर्ष 2005-06 में 5,603 करोड़ रूपये तक तीव्र गति से बढ़ा। राज्य का वर्ष 2001-02 में 797 करोड़ रूपये का प्राथमिक घाटा भी था, जो वर्ष 2005-06 में 4183 करोड़ रूपये तक बढ़ गया, जैसा कि **तालिका 22** में दर्शाया गया है।

सकल घरेलू राज्य उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के समानुपात की तरह राजस्व घाटा 0.1 प्रतिशत पहुँचा जबकि वर्ष 2005-06 में राजकोषीय धाटा 12 प्रतिशत पहुँचा था। राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा अनुपात वर्ष 2005-06 के दौरान 0.5 प्रतिशत था। राजस्व घाटा की स्थिति दर्शाती है कि राज्य की राजस्व प्राप्ति इसके राजस्व व्यय को वहन करने में सक्षम नहीं था और सरकार को अपने चालू दायित्वों को निभाने के लिए निधि उधार लेना था।

तालिका 22: राजकोषीय असंतुलन मूल प्राचल

प्राचल	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (करोड़ रूपये में)	(-) 305	(-) 572	(+)232	(-)315	(-)27
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (करोड़ रूपये में)	(-) 1365	(-) 1720	(-)874	(-)2217	(-)5603
प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (करोड़ रूपये में)	(-) 797	(-) 301	(+)308	(-)1076	(-)4183
रा.घा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	(-) 0.9	(-) 1.6	(+)0.6	(-)0.7	(-)0.1
राज.घा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	(-) 4.2	(-) 4.7	(-)2.2	(-)5.1	(-)11.9
प्रा.घा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	(-) 2.4	(-) 0.8	(+)0.8	(-)2.5	(-)8.9
रा.घा./ राज.घा. (प्रतिशत)	(+)22.3	(+)33.3	(-)26.5	(+)14.2	(+)0.5

वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व व्यय के संबंध मे राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर 22 प्रतिशत के विरूद्ध 27 प्रतिशत बढ़ने के कारण पिछले वर्ष से राजस्व घाटा 288 करोड़ रूपये (91 प्रतिशत) घट गया। दूसरी तरफ, वर्ष के दौरान राजस्व घाटा पिछले वर्ष से 3,386 करोड़ रूपये (153 प्रतिशत) बढ़ गया जो मुख्यतः 3170 करोड़ रूपये के ऋण एवं अग्रिम के संवितरण और 506 करोड़ रूपये के पूँजीगत व्यय के कारण बढ़ गया। वर्ष 2005-06 में राज्य की विकृत राजकोषीय घाटा की स्थिति के परिणामस्वरूप भी राज्य के प्राथमिक लेखा में गिरावट आई।

1.10 राजकोषीय अनुपात

राज्य का वित्त कायमता योग्य, लचीला एवं असंवेदनशील होना चाहिए। नीचे की तालिका 23 वर्ष 2000-2005 के सरकारी वित्त की संक्षिप्त स्थिति, कुल मूल सूचकों के संदर्भ में दर्शाती है, जो उपलब्ध संसाधनों एवं उनके अनुपयोग की कारगरता की पर्याप्तता और प्रभावकारिता के निर्धारण में सहायक होते हैं तथा संबधित क्षेत्रों को उजागर करने और इसके मुख्य तथ्यों को भी दर्शाते है।

स.रा.घ.उ. से राजस्व प्राप्तियों एवं राज्य के स्वयं के कर का अनुपात, संसाधनों की पर्याप्तता को सूचित करता है। राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता कर व्यवस्था की प्रकृति तथा राज्य के बढ़ते हुए संसाधनों की ओर सूचित करती है। राजस्व प्राप्तियाँ न केवल कर एवं कर भिन्न संसाधनों मे समायुक्त है, बल्कि संघीय सरकार से अन्तरण भी है। राजस्व प्राप्तियों का स.रा.घ.उ. से अनुपात वर्ष 2004-05 के 15.2 प्रतिशत से वर्ष 2005-06 में 18 प्रतिशत बढ़ गया तथा स्वयं के कर से स.रा.घ.उ. अनुपात वर्ष 2004-05 के 5.5 प्रतिशत से वर्ष 2005-06 में 5.9 प्रतिशत बढ़ गया।

राज्य के व्यय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न अनुपात इसके व्यय की गुणवत्ता और इसके संसाधन संगठन के संबंध में इसकी कायमता सूचित करता है। कुल व्यय से राजस्व व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2004-05 के 79 प्रतिशत से वर्ष 2005-06 में 60 प्रतिशत तक

घट गयी। यद्यपि राजस्व प्राप्तियों की तुलना जब कुल व्यय से की जाती है तो उच्चतर उत्प्लावकता दिखाई देती है, राजस्व प्राप्ति की तुलना जब राजस्व व्यय से की जाती है तो निम्नतर उत्प्लावकता दिखाई देती है। वर्ष 2005-06 के दौरान कुल व्यय का लगभग 60 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति से वहन किया गया। ये सब राज्य की विकासात्मक गतिविधियों के विस्तार पर इसके राजस्व एवं पूँजीगत व्यय को वहन करने के लिए उधार पर बढ़ती हुई निर्भरता प्रदर्शित करती है।

तालिका 23: राजकोषीय स्वास्थ्य के सूचक

(*प्रतिशत* में)

राजकोषीय अनुपात	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
संसाधन संघटन					
राजस्व प्राप्तियाँ/ स.रा.घ.उ.	13.7	13.6	14.2	15.2	18
राजस्व उत्प्लावकता	--	0.87	1.54	1.85	3.43
स्वयं के कर/ स.रा.घ.उ.	4.9	4.8	5.0	5.5	5.9
व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	17.9	18.3	16.4	20.3	29.9
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	130.4	134.9	115.6	133.4	166.3
राजस्व **व्यय** /कुल व्यय	81.9	82.7	83.0	78.5	60.3
सामाजिक और आर्थिक सेवा पर वैतनिक व्यय/ कुल राजस्व व्यय	18.8	16.4	24.8	21.6	20.4
सामाजिक और आर्थिक सेवा पर अवैतनिक व्यय/ कुल राजस्व व्यय	42.9	33.6	26.9	36.2	37.5
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	12.5	13.0	15.0	15.0	13.1
सामाजिक और आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	12.4	12.6	14.5	14.8	12. 5
रा.प्रा. के साथ कु. व्यय की उत्प्लावकता	-	1.38	(-) 0.15	2.01	2.15
रा.प्रा. के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता	-	1.50	(-) 0.13	1.60	0.80
राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (करोड़ रूपये में)	(-) 305	(-) 572	(+) 232	(-)315	(-)27
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (करोड़ रूपये में)	(-) 1365	(-) 1720	(-) 874	(-)2217	(-)5603
प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (करोड़ रूपये में)	(-) 797	(-) 301	(+) 308	(-)1076	(-)4183
राजस्व घाटा (-)/राजकोषीय धाटा	(+)22.3	(+)33.3	(-) 26.5	(+)14.2	(+)0.5
राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/ स.रा.घ.उ.	23.9	24.5	26.6	30.9	36.8
राजस्व घाटा/ रा.प्रा.	173.6	180.7	187.5	202.9	205.1
रा.प्रा. के साथ रा.दा. की उत्प्लावकता दर		1.46	1.30	1.54	1.05
अ.प्रा. के साथ रा.दा. की उत्प्लावकता		1.16	1.42	2.50	1.31
प्रमात्रा बढ़त की तुलना में प्राथमिक घाटा (करोड़ रूपये में)	-	(-) 809.61	(+)1.5	(-) 1035.46	(-) 4408.68
उपलब्ध निवल निधि	37	(-) 7	12	36	46
अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आवर्त (करोड़ रूपये में)	Nil	Nil	Nil	1	Nil
बी. सी. आर. (करोड़ रूपये में)	599	(-) 2	847	892	1120
वित्तीय परिसंपतियाँ/ दायित्व (प्रतिशत में)	34	33	44	54	64

1.11 उपसंहार

मूल राजकोषीय प्राचल- राजस्व एवं राजकोषीय घाटा वर्ष 2001-06 के दौरान राज्य की राजकोषीय स्थिति में मिश्रित प्रवृति उद्घाटित करता है। राजकोषीय स्थिति जो वर्ष 2003-04 मे अच्छी तरह से बढ़ गयी थी बाद के वर्षों मे गिर गई। यद्यपि राजस्व लेखा

2005-06 में प्रगति प्रदर्शित करता है जबकि वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व घाटा 810 करोड़ रूपये केन्द्रीय अन्तरण एवं 244 करोड़ रूपये सहायता अनुदान के बावजूद 288 करोड़ रूपये तक नीचे आ गया परन्तु, वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा की स्थिति 3,386 करोड़ रूपये तक गिरने का कारण मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं के लिए 3,161 करोड़ रूपये ऋण का एकमुश्त वितरण था। राज्य का बढ़ता हुआ ऋण दायित्व जो पिछले वर्ष से 2005-06 के दौरान 3848 करोड़ रूपये बढ़ गया जो प्रमात्रा विस्तार की सहभागिता तथा प्राथमिक घाटा जो लगातार ऋणात्मक रहा, दर्शाता है कि राज्य अवहनीय ऋण की स्थति की ओर बढ़ रहा है जबतक निकट भविष्य में इन प्रवृतियों को रोकने हेतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई न की जाय। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया, कि जे.एस.ई. बी. द्वारा तीन पक्षीय समक्षौते के तहत सी.प. एन.यू. के बकाये का भुगतान नहीं करने, स्थानीय निकायों का चुनाव कराने में राज्य की असफलता तथा राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन विधान, जैसा कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित था, पारित नहीं करने के कारण 1248 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति की हानि ने भी राज्य की राजस्व प्राप्तियों की स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसलिए, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी अनुदानों का उपभोग करने के लिए राज्य को यथाशीघ्र स्थानीय निकायों का चुनाव और राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम को कानून बनाने हेतु सभी सम्भव कदम उठाना चाहिए।